नेतरहाट विद्यालय समिति

झारखण्ड सरकार

नेतरहाट विद्यालय

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक–10.10.2017 को आकस्मिक बैठक में उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	डॉ.(प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र	सभापति	कृष्ण कुमार नाग 10.10.17
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार,रांची।	सदस्य	for, [illegible] 10/10/17
3.	श्री अखिलेश वाजपेयी, उप–सचिव, वित्त विभाग, (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	[illegible] 10/10.2017
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	H. K. P. [illegible] 10/10/17
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण,(से.नि. प्राचार्य), नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य	Binod Kumar Karn 10/10/17
6.	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य	दूरभाष पर, निर्णय की सहमति मिल गई थी कृ.कु.नाग 10.10.17
7.	श्री विन्ध्याचल पाण्डेय प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	[illegible] 10/10/17
8.	श्रीमती निशि हेमरोम शिक्षिका -	विशेष आमंत्रित	Nishi Hemrom 10/10/17
9.			
10.			

कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक दिनांक–10.10.2017 की कार्यवाही

आज दिनांक–10.10.2017 को नेतरहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति की विशिष्ट बैठक, रांची समिति कार्यालय में संपन्न हुई। कल दिनांक–09.10.2017 को सुश्री सारणी राय, अंगेजी शिक्षिका, नेतरहाट विद्यालय से प्राप्त 'निजता का भंजन' (Right to Privacy) विषयक आवेदन प्राप्त हुआ था। जिसमें आवास के निचले भाग में रह रही उपदेष्ट्री (Counsellor) सुश्री शीतल बरनवाल का किसी पुरूष से संबंध था एवं जो चार–पांच दिनों से उसी आवास में रह रहे थे। इस पत्र के आलोक में मामले की गंभीरता को देखते हुए, विद्यालय की स्थानीय प्रबंधन समिति की बैठक प्राचार्य कक्ष में हुई। उसी क्रम में माननीय सभापति, कार्यकारिणी समिति को दूरभाष से संदर्भ की गंभीरता से अवगत कराया गया। उनके निदेशानुसार उनके आवास, नया आवास न. 08 पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं अंग्रेजी शिक्षिका, श्रीमती निशी हेमरोम भी गई थीं। वहां श्री राजकुमार प्रसाद, जो विद्यालय की सेवा से 31 जुलाई, 2017 को ही शिक्षक के पद से सेवा निवृत हो चुके थे, पाये गये। सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुए श्री प्रसाद एवं सुश्री बरनवाल को बताया गया कि नेतरहाट विद्यालय जैसे आवासीय परिसर में अविवाहित महिला के साथ किसी पुरूष को रहने देना एवं इसकी सूचना प्राचार्य को नहीं देना अनुचित है। विषय की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए सभापति ने दूरभाष पर निदेश दिया कि कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक कल ही, अर्थात् 10.10.2017 को रांची समिति कार्यालय में बुलाई जाय एवं इसमें सुश्री बरनवाल व सुश्री सारणी राय को भी आमंत्रित किया जाय। किन्हीं महिला आश्रामाध्यक्ष शिक्षिका को भी साथ लेते आवें। कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को तुरंत यह विशेष बैठक की सूचना दे दी जाय।

इस संबंध में कार्यकारिणी समिति द्वारा तैयार प्रश्नावली को रांची समिति कार्यालय में लगभग 11.30 बजे सुश्री बरनवाल को दिया गया ताकि प्रत्येक प्रश्न का बिंदुवार उत्तर स्वविवेक से दें। बैठक कक्ष से सटे दूसरे कमरे में श्रीमती निशी हेमरोम की निगरानी में उन्हें अपने उत्तर देने के लिए बैठाया गया था। लगभग दो घंटे बीत जाने के बाद तथाकथित किसी परिचित, जिन्होंने अपना नाम राजेन्द्र सिंह बताया और जिन्होंने अपने को सुश्री वर्णवाल का रांची स्थित लोकल अभिभावक बताया, ने समिति की बैठक में घुस कर बिना भरे प्रश्नावली के साथ सुश्री बरनवाल के पक्ष में शोर मचाया और कहा कि इनकी तबियत ठीक नहीं है, इन्हें सवाल के जबाब के लिए समय चाहिए। बिना भरे प्रश्नावली को दो घंटे बाद, एक भी प्रश्न का उत्तर दिये बिना, समिति के सदस्यों के सामने उन्होंने लहराया और कुछ मिनटों के लिए अव्यवस्था फैला दी।

10/10/2017
(उप सचिव, वित्त)
10/10/2017
Binod Kumar Ragan
कृष्ण कुमार नाग
10.10.2017

जब सभापति ने पूछा कि दो घंटे के अन्दर आपने अपना नाम तक इसमें नही लिखा है, यह कैसी बात है? तब मालूम हुआ कि वे प्रश्नों के उत्तर लिख रही थीं लेकिन न जाने क्या हुआ कि उन्होने प्रश्नावली को ही फाड़ दिया और यह उसके एवज में दूसरी प्रति, उनके मांगने पर समिति के सदस्यों की जानकारी के बिना, उपलब्ध करायी गई प्रश्नावली की कॉपी है। समिति के सदस्यों ने तथाकथित स्थानीय अभिभावक को समिति कक्ष से बाहर जाने को कहा और सुश्री शीतल बरनवाल को वहीं, समिति की बैठक कक्ष में ही स्वविवेक से पूर्ण निर्भीक होकर जो सच्ची बातें व उनके सच्चे विचार हों उन्हें बेझिझक लिख देने को कहा गया। सभाकक्ष में कार्यकारिणी सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित श्रीमती निशी हेम्बरोम उपस्थित थीं एवं सुश्री सारणी राय भी उपस्थित थीं, जब सुश्री बरनवाल वहीं बैठ कर सभी प्रश्नों के उत्तर दे रही थीं।

सुश्री बरनवाल के बिन्दुवार उत्तरों का, समिति के सभी सदस्यों द्वारा गहनता से अध्ययन किया गया एवं सर्वसम्मति से समिति इस निर्णय पर पहुंची कि एक शिक्षिका के ऐसे आचारण को विद्यालय के लिए कतई शोभनीय एवं मर्यादित नहीं माना जायेगा। अतः सर्वसम्मति से नेतरहाट आवासीय विद्यालय के (Recruitment, Service Condition and Disciplinary Rules) 2011 के तहत वर्णित Contract of Service की कंडिका -09 व 10 के तहत इन पर कार्रवाई की जाय। चूंकि सुश्री बरनवाल की सेवा पूर्व में सम्पुष्ट हो चुकी है, अतः उन्हें कंडिका-10 में वर्णित "The Committee of the School may terminate the service of the Party No.1 by giving three months' notice in writing, in case Party No.1 is confirmed, or one month's notice during probation period or paying a sum equivalent to 3 months' or one month's salary which the Party No.1 may then be drawing." अतः तीन माह की वर्तमान वेतन अवधि के समतुल्य राशि इन्हें समर्पित कर तत्काल प्रभाव से इनकी सेवा विद्यालय से समाप्त कर दी जाय।

प्राचार्य को निदेश दिया गया कि इन्हें इस संबंध में समिति के निदेशानुसार कार्यालय आदेश द्वारा सूचित कर दिया जाए कि विद्यालय को इनकी सेवा की जरुरत नहीं हैं और तत्काल प्रभाव से समिति के नियमावली के अनुसार तीन माह के समतुल्य वेतन की राशि इनके खाते में हस्तान्तरित कर सुश्री शीतल बरनवाल को नेतरहाट विद्यालय से विमुक्त कर दिया जाय।

(हस्ताक्षर) 10.10.17 (अवर सचिव) (स्कूली शिक्षा)

(हस्ताक्षर) 10.10.2017 (उप सचिव, वित्त)

(हस्ताक्षर) 10.10.17

Binod Kumar Karn

कृष्ण कुमार नाग 10.10.2017

(हस्ताक्षर) 10.10.2017